जयपुर • कोटा • बीकानेर • उदयपुर • अजमेर • जालोर • हिण्डौनसिटी • चूरू

राष्ट्रदूत

epaper.rashtradoot.com

हिण्डौन सिटी

Rashtradoot

फोनः- 230200, 230400 फैक्सः- 07469-230600 वर्षः 15 संख्याः 39 प्रभात हिण्डौन सिटी, शुक्रवार 9 दिसम्बर, 2022 पो. रजि.SWM-RJ-6069/2017-18 पृष्ठ 6 मूल्य 2.50 रु.

क़ोटा से गुजर रही राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में गुरुवार को करौली महिला कांग्रेस की जिलाध्यक्ष शरदो गुर्जर को शामिल होने का मौका मिला। शरदो गुर्जर राजस्थान के पारंपरिक गुर्जर परिधान लहंगा-लूगड़ी पहनकर यात्रा में शामिल हुईं। यात्रा के दौरान शरदो गुर्जर ने राहुल गांधी और पूर्व उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट के साथ क्षेत्र की समस्याओं पर चर्चा की।

गुजरात में शर्मनाक हार के बाद प्रभारी रघु शर्मा ने इस्तीफा दिया

पर प्रमुख पर्यवेक्षक गहलोत की क्या प्रतिक्रिया हैः न इस्तीफा दिया और न इस्तीफा देने का प्रस्ताव दिया

-रेणु मित्तल-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 8 दिसम्बर। इस बार खाता 1-1 से बराबर है। कांग्रेस ने एक लम्बे समय बाद भाजपा से हिमाचल प्रदेश छीन लिया है। यहां कांग्रेस को 40 और भाजपा को 25 सीटें मिली हैं।

और गुजरात में भाजपा की सुनामी चली। उसने वहां 158 सीटों पर एकतरफा जीत दर्ज की तथा कांग्रेस का प्रदर्शन इतना खराब रहा कि वह केवल 17 सीटें ही जीत सकीं। यह भाजपा के साथ कांग्रेस का सबसे बुरा प्रदर्शन था जिसने वर्ष 1985 का उसी का रिकॉर्ड तोड़ दिया।

गुजरात में कांग्रेस की हार की जिम्मेदारी लेते हुए वहां के ए.आई.सी.सी. प्रभारी महासचिव रघु शर्मा ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने अपना त्याग पत्र पार्टी अध्यक्ष खड़गे को भेजा और पत्र की एक कॉपी के.सी. वेणुगोपाल को भी भेजी गई।

लेकिन मजेदार बात यह है कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, जो गुजरात में पार्टी के मुख्य पर्यवेक्षक थे और चुनाव का प्रबंधन कर रहे थे, ने ना तो अब तक इस्तीफा दिया है और ना ही ऐसी पेशकश की है।

दूसरी ओर सचिन पायलट हिमाचल प्रदेश के पर्यवेक्षक थे और उन्होंने वहां पार्टी के लिए गहन प्रचार किया था। गहलोत और सचिन पायलट के प्रदर्शन का विरोधाभास इतना अधिक है कि उसकी अनदेखी नहीं की जा सकती।

राहुल गांधी ने हिमाचल प्रदेश का दौरा नहीं किया था, जबकि प्रियंका गांधी हिमाचल प्रदेश के चुनाव प्रचार का हिस्सा थीं।

कांग्रेस के हल्कों में यह आम चर्चा है कि गुजरात में पार्टी का प्रचार अभियान निस्तेज एवं गैर-संजीदा था।

पार्टी के एक वरिष्ठ नेता, जो अपना नाम उजागर करना नहीं चाहते, ने कहा कि अगर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री बघेल, जो हिमाचल के मुख्य पर्यवेक्षक थे, को राज्य में पार्टी की जीत का श्रेय दिया जा सकता है तो गुजरात में पार्टी की शर्मनाक पराजय का दोष अशोक गहलोत को क्यों नहीं दिया जा सकता।

जहाँ हिमाचल प्रदेश की जनता भाजपा को सत्ता से हटाना चाहती थीं, वहीं इसका आंशिक श्रेय उन वरिष्ठ भाजपा नेताओं को भी देना पड़ेगा, जिन्होंने यहाँ धूमल के प्रत्याशियों को हराने के लिये काम किया। निवर्तमान भाजपा मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर तथा अनुराग ठाकुर को इस क्षेत्र में धूमल के लोगों को हराने के लिये जिम्मेदार बताया जा रहा है। वे उन्हें रास्ते से हटाना चाहते थे।

हिमाचल प्रदेश में, मुख्यमंत्री पद के लिये दौड़ शुरु हो गई है तथा पार्टी को यह निर्णय लेना है कि किसी ठाकुर या ब्राह्मण में से किसे मुख्यमंत्री बनाया जाये।

वीरभद्र की पत्नी प्रतिभा सिंह भी इस पद की दावेदार हैं लेकिन सूत्रों का कहना है कि उन्हें मुख्यमंत्री बनाये जाने की संभावना नहीं है। अगर पार्टी किसी ब्राह्मण को मुख्यमंत्री बनाती है तो उनके पुत्र विक्रमादित्य को उपमुख्यमंत्री के रूप में समायोजित किया जा सकता है क्योंकि वीरभद्र के परिवार की उपेक्षा करना एक आत्मघाती कदम ही माना

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

- दूसरी ओर पायलट हिमाचल में पर्यवेक्षक थे तथा उत्साह से चुनाव प्रचार में जुटे। गुजरात व हिमाचल के चुनावी नतीजे कई सवाल उठाते हैं।
- आम चर्चा है कि, गुजरात की हार का एक बड़ा कारण था, उत्साह विहीन चुनाव अभियान।
- हिमाचल में भाजपा की हार का एक कारण यह भी है, पूर्व मु.मंत्री धूमल के क्षेत्र में मु.मंत्री जयराम ठाकुर व अनुराग ठाकुर द्वारा धूमल के उम्मीदवारों को हरवाने के लिये जम कर काम करना। वे शुरू से ही धूमल को रास्ते से हटाना चाहते थे।
- हिमाचल का भावी मु.मंत्री कौन होगा, राजपूत या ब्राह्मण। पूर्व मु.मंत्री वीरभद्र सिंह की पत्नी प्रतिभा सिंह, राजपूतों की ओर से प्रबल उम्मीदवार हैं, पर, अगर ब्राह्मण को मु.मंत्री बनाया गया तो, प्रतिभा सिंह के पुत्र को उप मु.मंत्री पद मिलेगा।

सरदारशहर से कांग्रेस के अनिल शर्मा विजयी

चूरू/ सरदारशहर, 8 दिसम्बर (कासं)। चूरू जिले के सरदारशहर विधानसभा उप चुनाव में कांग्रेस के अनिल कुमार शर्मा जीत गए हैं। यह उप चुनाव क्षेत्र के विधायक भंवर लाल शर्मा के निधन से रिक्त हुई थी। अनिल कुमार शर्मा, भंवर लाल शर्मा के पुत्र है।

- अनिल शर्मा ने भाजपा के अशोक पिंचा को 26,852 मतों से हराया।

उन्होंने भाजपा के अशोक पिंचा को 26,852 मतों से हराया। अनिल कुमार शर्मा को 91,357 वोट मिले और भाजपा को 64,505 वोट मिले।

आप बनी राष्ट्रीय पार्टी !

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 8 दिसम्बर। दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने गुरुवार को दावा किया कि गुजरात चुनाव लड़ना आम आदमी पार्टी (आप) का दांव फायदेमंद रहा और इससे पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल जाएगा। एक ट्वीट में उन्होंने कहा आप चुनाव आयोग के मानदंडों पर खरी उतरती है, यदि कोई पार्टी किसी राज्य

- गुजरात चुनाव में आप को भले ही दो सीटें मिली हों, पर अब इस पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल जाएगा।

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

गुजरात की अभूतपूर्व जीत से कर्नाटक के भाजपा विधायक आशंकित

गुजरात में ''एन्टी इन्कमबैंसी'' को मात देने के लिये भाजपा ने 40 विधायकों व मंत्रियों के टिकट काटे थे

-लक्ष्मण वेंकट कुची-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 8 दिसम्बर। गुजरात में 27 साल की सत्ता-विरोधी लहर को पछाड़ते हुए भाजपा की जबरदस्त विजय को पार्टी के एक वरिष्ठ विधायक चिन्ताजनक मान रहे हैं। सत्ता विरोधी लहर को परास्त करने का कामयाब सूत्र- विधायकों, मंत्रियों यहाँ तक कि मुख्यमंत्री तक को या उनकी सीटों को बदलना, जिसके भाजपा के शीर्ष नेतृत्व को सकारात्मक नतीजे मिले हैं, कर्नाटक के भाजपा विधायकों के लिये बहुत बड़े डर का कारण बन गया है क्योंकि वर्तमान विधानसभा का कार्यकाल अगले वर्ष मई में समाप्त होने के बाद, वहाँ विधानसभा चुनाव होने हैं।

हालाँकि जहाँ तक चुनावी रणनीतियाँ तय करने का प्रश्न है, हर राज्य में एक ही रणनीति काम में नहीं ली जाती। प्रत्येक विधानसभा सीट के लिये उम्मीदवारों को नामजद करने का निर्णय करते समय कई बातें विचारणीय होती है, जैसे- कुछ खास काम न करने वालों को पुनः प्रत्याशी नहीं बनाना, जनता की नज़रों में असफल माने जाने वाले विधायकों को पुनः खड़ा नहीं करना, तथा चयन में सबसे महत्वपूर्ण होती है- किसी प्रत्याशी के जीतने की प्रबल संभावना।

गुजरात में भाजपा के बागियों की दुर्दशा भी सत्ता विरोधी लहर को पराजित करने के मोदी-शाह मॉडल की प्रभावोत्पादकता की परिचायक है, क्योंकि पार्टी ने पुराने सभी चुनावी रिकॉर्डों को तोड़ते हुये, राज्य में ऐतिहासिक जीत हासिल की है।

यह सफलता सत्ता-विरोधी लहर को पराजित करने की भाजपा की रणनीति की सिद्ध हो चुकी प्रभावोत्पादकता की सूचक है। इस सुविचारित रणनीति के अन्तर्गत, फालतू लोगों की छँटनी तथा आक्रामक प्रचार तथा इसके साथ ही भाषणों में सरकार के सकारात्मक कार्यों एवं कल्याणकारी योजनाओं से मिले लाभों के प्रमाण आदि से कर्नाटक के विधायक बड़े नवर्स हो गये हैं। गुजरात में पार्टी ने 40 विधायकों, जिनमें मंत्री एवं पूर्व मुख्यमंत्री भी शामिल हैं, को टिकट नहीं दिये थे।

लेकिन यह भी संभव है कि यह रणनीति हर राज्य में कारगर न हो, जैसा कि हिमाचल प्रदेश के परिणाम ने सिद्ध कर दिया है। हिमाचल में वर्तमान सत्ता को उखाड़ फेंकते हुये, कांग्रेस ने चुनावी इतिहास रच दिया है। हिमाचल प्रदेश में भाजपा ने चुनावी लड़ाई में कांग्रेस की जीत को मुश्किल बनाने के लिये, प्रचार-अभियान में अपना सर्वस्व झोंक दिया था। यही एक ऐसा तत्व है, जिसे भाजपा विधायक पकड़े बैठे हैं तथा फिर से टिकट मिलने की मधुर कल्पनाएं कर रहे हैं। ज्ञातव्य है कि बी.एस. येदिउरप्पा जैसे वरिष्ठ व्यक्ति को वापस बुलाना पड़ा था तथा उनका पद एक अन्य वरिष्ठ नेता को सौंप दिया गया था तथा उन्हें सांत्वना एवं संतुष्टि प्रदान करने की दृष्टि से उन्हें एक सम्माननीय पद दे दिया था। कर्नाटक के वरिष्ठ विधायक यह आशा सँजोये बैठे हैं कि इसी प्रकार राज्य की राजनीति में उनकी महत्ता उन्हें बचा लेगी तथा जब भी भाजपा उम्मीदवारों की सूची जारी करेगी, उस सूची में उनका नाम मौजूद होगा। कर्नाटक भाजपा में कम से कम 20 से अधिक विधायक ''वरिष्ठ नागरिक'' श्रेणी के हैं तथा उनकी आयु 65 वर्ष से अधिक है। इनमें उल्लेखनीय नाम हैं- पूर्व मुख्यमंत्री जगदीश शेट्टर, पूर्व उपमुख्यमंत्री ई.एम. ईश्वरप्पा, जी.एच. थिप्पा रेड्डी तथा एस.ए. रवीन्द्रनाथ। भाजपा में ऐसे स्वर सुनाई देने लगे हैं कि ''वरिष्ठों'' को युवा वर्ग के लिये रास्ता देना चाहिये।

- मोदी-शाह द्वय की इस रणनीति को भारी सफलता मिली गुजरात में। अतः कर्नाटक के कई वर्तमान विधायक व मंत्री आशंकित हैं कि, कहीं यह फॉर्मूला कर्नाटक में भी तो नहीं दोहराया जायेगा।

'कश्मीरी पंडितों के जनसंहार की जांच नहीं'

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 8 दिसंबर। चीफ जस्टिस ऑफ इण्डिया (सी.जे.आई.) डी.वाय. चन्द्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 3 जजों की एक बैंच ने वर्ष 1989-1990 के दौरान जम्मू एवं कश्मीर में हुए कश्मीरी पंडितों ने नरसंहार के संबंध में दायर एक क्यूरेटिव पिटिशन को खारिज कर दिया है। इस याचिका में मांग की गई थी कि उक्त नरसंहार की किसी सैन्ट्रल एजेंसी या कोर्ट द्वारा नियुक्त किसी अन्य एजेंसी से जांच करायी जाए।

- सुप्रीम कोर्ट ने 1989-90 में हुए कश्मीरी पंडितों के संहार और उनकी एफ.आई.आर. की जांच करवाने से यह कहकर इंकार कर दिया कि, अब बहुत देर हो चुकी है।

सुप्रीम कोर्ट ने वर्ष 2017 में इस याचिका में हस्तक्षेप करने से इंकार कर दिया था। याचिका में मांग की गई थी कि करीब 7 सौ कश्मीरी पंडितों की मौत को लेकर दायर एफ.आई.आर्स. की पुनः जांच कराई जाए, सैन्ट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वैस्टिगेशन (सी.बी.आई.) जैसी

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

कोलीजियम सिस्टम के खिलाफ सरकार की टिप्पणी पर सुप्रीम कोर्ट ने आपत्ति जताई

सुप्रीम कोर्ट ने कहा, कोलीजियम सिस्टम देश का कानून है, उसकी अक्षरशः पालना होनी चाहिए

-डॉ. सतीश मिश्रा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 8 दिसम्बर। कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच चल रहे संघर्ष के और बढ़ने के स्पष्ट संकेत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कोलीजियम सिस्टम पर सरकार की टिप्पणियों पर आपत्तियां जतायीं। कोर्ट ने ध्यान दिलाया कि ''यह देश का कानून है'' जिसका अक्षरशः पालन किया जाना चाहिए।

यह रेखांकित करते हुए कि कोलीजियम के विरूद्ध सरकार के पदाधिकारियों द्वारा की गई टिप्पणियां उचित नहीं थीं, शीर्ष अदालत ने बड़ी सावधानी से अपना संयम खोया है क्योंकि लगता है कि उसने कोलीजियम सिस्टम को लेकर केन्द्र सरकार और न्यायपालिका के बीच चल रहे वर्तमान मतभेदों को लेकर अपने विचार व्यक्त किए है, खासतौर पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और केन्द्रीय विधि मंत्री किरण रिजिजू की टिप्पणियों के संदर्भ में।

जस्टिस संजय किशन कौल, ए.एस. ओझा और विक्रम नाथ की बैंच ने एटॉर्नी जनरल और सॉलीसिटर जनरल से कहा कि कोलीजियम सिस्टम का सूत्रपात करने वाले संविधान बैंच के निर्णयों की हर हाल में अनुपालना की जानी चाहिए।

बैंच केन्द्र सरकार के खिलाफ दायर एक अवमानना याचिका पर सुनवाई कर रही थी। उसमें आरोप लगाया गया था कि सरकार कोर्ट द्वारा तय की गई समयावधि में कोलीजियम की सिफारिशों को मंजूर नहीं कर रही है। सुनवाई के दौरान बैंच को उन चुनिंदा टिप्पणियों से अवगत करवाया गया जो संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोगों ने कोलीजियम सिस्टम के खिलाफ की थीं।

सीनियर एडवोकेट एवं सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष विकास सिंह ने उपराष्ट्रपति और विधि मंत्री द्वारा हाल ही में दिए गए बयानों का प्रत्यक्ष हवाला दिया।

सुनवाई के दौरान जस्टिस विक्रम नाथ ने एटॉर्नी जनरल से अनुरोध किया कि वह सरकार के पदाधिकारियों से संयम बरतने के लिए कहें। जस्टिस नाथ ने कहा कि सिंह भाषणों का हवाला दे रहे हैं जो बहुत अच्छी बात नहीं है।.... सुप्रीम कोर्ट कोलीजियम पर टिप्पणियों को अच्छे रूप में नहीं लिया जा सकता।

धनखड़ ने कल संसद के शीतकालीन सत्र की शुरुआत के दिन राज्यसभा में राज्यसभा सभापति के रूप में अपना प्रथम संबोधन देते हुए सुप्रीम कोर्ट के वर्ष 2015 के निर्णय का हवाला दिया, जिसमें नैशनल ज्यूडीशियल अपॉइन्टमैन्ट्स कमीशन (एन.जे.ए.

- सुप्रीम कोर्ट ने एटॉर्नी जनरल को कहा, वे सरकार को समझायें कि, वे मर्यादा में रहें तथा भाषा पर नियंत्रण रखें।

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

छवला रेप-मर्डर पर अपने फैसले को रिव्यु करेगा सुप्रीम कोर्ट

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 8 दिसंबर। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सी.जे.आई.) की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट की एक बैंच ने गत 7 नवम्बर के निर्णय पर रिव्यू मांगने वाली याचिकाओं को सुनवाई के लिए लिस्ट करने का निर्णय लेने का आश्वासन किया है। गत 7 नवम्बर के निर्णय में दिल्ली के छवला क्षेत्र की एक 19 वर्षीया युवती की वर्ष 2012 में गैंग रेप के बाद हत्या करने वाले अभियुक्तों

- सुप्रीम कोर्ट ने अपने 7 नवम्बर के फैसले में छवला गैंगरेप मर्डर के आरोपियों को बरी कर दिया था, इस फैसले के खिलाफ 19 वर्षीय मृत युवती के पिता सहित कई वकीलों व सामाजिक संगठनों ने रिव्यु पिटिशन दायर की थी।

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

अजीनोमोतो फिल्म पर रोक

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 8 दिसम्बर। जापान के एक मसाला निर्माता की शिकायत पर दिल्ली हाई कोर्ट ने क्राइम थ्रिलर मूवी ''अजिनोमोतो'' के रिलीज पर गुरूवार को एकतरफा स्टे लगा दिया। मसाला

- जापान की एक कम्पनी से अपने ट्रेडमार्क अजी-नो-मोतो के एक गलत इस्तेमाल के खिलाफ याचिका दायर की थी, उनकी याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने 12 दिसम्बर तक फिल्म की रिलीज़ पर रोक लगा दी है।

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

गुजरात में भाजपा की भारी जीत ने पुराने सभी रिकॉर्ड तोड़े

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 8 दिसम्बर। कांग्रेस ने अपने गिरते चुनावी ग्राफ को अतंतः थाम लिया और हिमाचल प्रदेश में 68 सीटों में से 40 सीटें जीत लीं तथा भारतीय जनता पार्टी को 25 सीटों पर रोककर, उसे सत्ता से बेदखल कर दिया, लेकिन गुजरात में इसकी स्थिति बहुत खराब रही, जहाँ उसकी सीटों का आँकड़ा बुरी तरह लुढ़क कर 17 पर आ गया। गुजरात में, भाजपा ने अपने पूर्व रिकॉर्ड को तोड़ते हुये 182 सदस्यीय विधानसभा की 156 सीटों पर विजय प्राप्त कर ली।

चुनाव आयोग ने हिमाचल प्रदेश में भाजपा को 25 सीटों पर विजयी दिखाया है, लेकिन इस संख्या में भी एक सीट की कमी हो जायेगी, क्योंकि इस संख्या में, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर द्वारा जीती हुई दो सीटें मंडी एवं सेराज शामिल हैं तथा इनमें से एक सीट उन्हें खाली करनी पड़ेगी। अगर प्राप्त वोटों के प्रतिशत के आधार पर देखें तो दोनों पार्टियों की उपलब्धि में कोई बड़ा अन्तर नहीं है- जहां कांग्रेस को 43.91 प्रतिशत वोट मिले हैं, वहीं भाजपा ने भी 42.90 प्रतिशत वोट हासिल किये हैं।

हिमाचल प्रदेश में निर्दलियों, जो वस्तुतः भाजपा के बागी ही हैं, ने तीन सीटें जीती हैं। अगर वे भाजपा में वापस होते हैं, तो भी कांग्रेस की निर्णायक जीत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। गुजरात में आम आदमी पार्टी (आप) को 12.91 प्रतिशत वोट मिले हैं तथा उसने 5 सीटें जीती हैं तथा अब राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त करने की स्थिति में आ गई है।

आशा कुमारी, जो पंजाब-मामलों की ए.आई.सी.सी. प्रभारी रही हैं तथा चम्बा के राजघराने की सदस्या हैं, हिमाचल प्रदेश की मुख्यमंत्री बनाई जा रही हैं। विधानसभा चुनावों में यह उनकी छठी जीत है।

- भाजपा की बिहार के कुरहानी उप चुनाव में जीत भी नीतीश कुमार के लिये भारी धक्का है, क्योंकि नीतीश द्वारा भाजपा से गठबंधन तोड़ने के बाद यह पहला उप चुनाव था।
- पर भाजपा यू.पी. में सभी उप चुनाव हारी, सपा व राष्ट्रीय लोकदल से।
- छत्तीसगढ़ व राजस्थान में कांग्रेस ने उप चुनाव जीते।
- हिमाचल में चुनाव आयोग का नतीजा दिखाने वाले चार्ट में भाजपा की 25 सीटें दिखायी गयी हैं, पर यह संख्या घटेगी, क्योंकि मु.मंत्री जयराम ठाकुर दो सीटों पर जीते हैं और उन्हें एक सीट से इस्तीफा देना होगा।

भाजपा के तीन बागी, जो निर्दलीय प्रत्याशियों के रूप में चुनाव जीते हैं, भाजपा में वापस लिये जा सकते हैं फिर भी भाजपा की विधायक संख्या इतनी नहीं हो पायेगी कि वह कांग्रेस को हिमाचल प्रदेश की सत्ता में आने से रोक सके। ज्ञातव्य है कि हिमाचल प्रदेश का इतिहास रहा है कि यहां वैकल्पिक दल की ही सरकार बनती है।

मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव में डिम्पल यादव विजयी रही हैं। डिम्पल समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव की पत्नी तथा मुलायम सिंह यादव की पुत्र-वधू हैं। ज्ञातव्य है कि यह सीट मुलायम सिंह यादव के निधन के कारण रिक्त हुई थी। रामपुर सीट पर भी समाजवादी पार्टी के मोहम्मद आसिम रजा जीते हैं। यह सीट सपा नेता आज़म खान की डिसक्वालिफिकेशन के कारण खाली हुई थी। खतौली सीट पर राष्ट्रीय लोक दल के मदन भैया विजयी हुये हैं। ज्ञातव्य है कि आर.एल.डी. को सपा का समर्थन प्राप्त था।

उत्तर प्रदेश को इस अर्थ में अपवाद ही माना जायेगा, जहाँ योगी आदित्यनाथ की भारतीय जनता पार्टी सरकार एक भी उपचुनाव नहीं जीत सकी हैं, जबकि बिहार के अलावा, चार अन्य राज्यों में सत्तारूढ़ दलों ने विधानसभा उपचुनावों में अपने प्रत्याशियों को जिता लिया है।

राजस्थान के उपचुनाव में सरदार शहर सीट से कांग्रेस के अनिल कुमार शर्मा, छत्तीसगढ़ के उपचुनाव में भानु प्रताप सीट से कांग्रेस की सावित्री मांडवी, उड़ीसा उपचुनाव में पदमपुर सीट से बीजू जनता दल प्रत्याशी बर्षा सिंह बारिहा विजयी रही हैं।

बिहार में कुरहानी सीट पर जनता दल (यू) के मनोज कुमार सिंह भाजपा के केदार प्रसाद गुप्ता से हार गये हैं। यह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिये एक बड़ा झटका हैं क्योंकि भाजपा से अलग होने के बाद, राज्य में यह पहला उपचुनाव था।